

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर**

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 108/2024

अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. धर्मवीर ज्याणी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह श्रीगंगानगर
2. श्रीमती अनिता पत्नी श्री धर्मवीर जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह श्रीगंगानगर
3. रणवीर सिंह ज्याणी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर (राज0) जरिये मुखत्यारेआम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री आसाराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

..... वादीगण

**बनाम**

- (1). श्रीमती भागवन्ती पत्नी श्री रामनारायण
  - (2). श्रीमती कमला पत्नी दौलतराम
  - (3). श्रीमती पायल पत्नी रामस्वरूप
  - (4). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राजस्थान)
- ..... प्रतिवादीगण

उपरिथत-अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी  
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी  
पैरोकार राज

वादी  
प्रतिवादी 1 ता 3  
(प्रति.4)

**--: निर्णय :-**

दिनांक 13.11.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 चक 6 फ पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 40/20 के सह हिस्सेदार है। चक 6 फ पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 40/20 के मुरब्बा नम्बर 43, 44, 53 की कुल 15.055 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से वादी संख्या 1 धर्मवीर ज्याणी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद के नाम 2467/15055 हिस्सा यानि 2.467 है., वादीया संख्या 2 अनिता पत्नी धर्मवीर के नाम 430/3011 हिस्सा यानि 2.150 है., वादी संख्या 3 रणवीर सिंह ज्याणी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद के नाम 4618/15055 हिस्सा यानि 4.618 है., प्रतिवादी संख्या 1 भागवन्ती पत्नी रामनारायण के नाम 506/3011 हिस्सा यानि 2.530 है., प्रतिवादी संख्या 2 कमला पत्नी दौलतराम के नाम 1897/15055 हिस्सा यानि 1.897 है., प्रतिवादी संख्या 3 पायल पत्नी रामस्वरूप के नाम 1393/15055 हिस्सा यानि 1.393 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 6 Q पटवार हल्का दौलतपुरा तह0 श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 40/20 की माबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। वादीगण संख्या 1 से 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम उक्त मद में वर्णित चक 6 Q पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व

**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर**



जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 40/20 के मुरब्बा नम्बर 43, 44, 53 की कुल 15.055 है. नहरी कृषि भूमि संयुक्त खाता की होने के बावजूद तमाम पक्षकारान ने मौखिक बंटवारा काश्त की सहूलियत के लिहाज से करके पृथक पृथक भूमि की पृथक-पृथक काश्त निम्न वर्णित अनुसार करते आ रहे है :-

धर्मवीर ज्याणी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 6 Q	40/20	43	20 से 24 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25(0.190 है. पश्चिमी हिस्सा)	1.455 है. नहरी
		44	2 से 5 (प्रत्येक में 0.253 है.)	1.012 है. नहरी
कुल योग 2.467 है. नहरी				

श्रीमती अनिता पत्नी श्री धर्मवीर जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर (राज0)




चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 6 Q	40/20	44	1 (0.253 है.), 6 से 10 (प्रत्येक में 0.253 है.), 11(0.127 है. [उत्तरी हिस्सा]), 12(0.126 है. [उत्तरी हिस्सा]), 13(0.127 है. [उत्तरी हिस्सा]), 14(0.126 है. [उत्तरी हिस्सा]), 15(0.127 है. [उत्तरी हिस्सा])	2.151 है. नहरी

रणवीर सिंह ज्याणी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 6 Q	40/20	43	2 से 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25 (0.063 है. पूर्वी हिस्सा)	4.617 है. नहरी


भागवन्ती पत्नी रामनारायण 2.530 है., कमला पत्नी दौलतराम 1.897 है., पायल पत्नी रामस्वरूप 1.393 है. जाति जाट निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुख्या नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 6 Q	40/20	44	11(0.126 है. [दक्षिणी हिस्सा]), 12(0.127 है. [दक्षिणी हिस्सा]), 13(0.126 है. [दक्षिणी हिस्सा]), 14(0.127 है. [दक्षिणी हिस्सा]), 15(0.126 है. [दक्षिणी हिस्सा]), 16 से 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21 से 25 (प्रत्येक में 0.228 है.)	3.037 है. नहरी
		53	1, 4, 5, 6, 7, 14 से 17, 24, 25 (प्रत्येक में 0.253 है.)	2.783 है. नहरी
कुल 5.820 है. नहरी				



वादीगण संख्या 1 से 3 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 पारस्परिक सहमति से किए गए मौखिक बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काशत है परन्तु भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज होने से पक्षकारान को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है संयुक्त खाता में संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण, वादीगण को पूर्ण रूप से मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते हैं; तथा कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैंटल, शैड आदि की सुविधाओं से एवं उक्त कृषि भूमि में सुधार कार्य करवाने में भी वंचित हो रहे हैं इसके अलावा भूमि के लगान के बंटवारे, पानी की पृथक बारी की बाबत व खिंचाई-भराई की बाबत तथा भूमि की पैदावार बाजार में राज्य सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय करने व अन्य सरकारी व गैर सरकारी कार्य में भूमि के संयुक्त होने से वादीगण व प्रतिवादीगण को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और भूमि सुधार भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी सूरत में वादीगण संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन करवाकर व इसके लगान का वितरण करवाकर भूमि अपने हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काशत अनुसार पृथक कब्जा प्राप्त करने तथा बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का संयुक्त खाता में दर्ज हिस्सा बैंक के पक्ष में रहन है चूंकि बैंक की रहन की बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 में कोई विवाद नहीं होने के कारण बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 सम्बन्धित भूमि का लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वादी संख्या 3 रणवीर सिंह ज्याणी की ओर से उसके द्वारा नियुक्त मुखत्यारेआम की हेसियत से उसके पिता राजेन्द्र प्रसाद द्वारा वाद पत्र पेश किया गया है। मुखत्यारनामा आम आज तक मान्य है तथा निरस्त नहीं किया गया है व मुखत्यारेआम दाता जीवित है। मुखत्यारनामा की प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादीगण ने पारस्परिक सहमति से हुए मौखिक विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 08/05/2024 को कहा तो प्रतिवादीगण ने टाल मटोल करते हुए इन्कार कर दिया, वस यही विनाय मुखारमत है। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 6 क्यू उप तहसील मिर्जेवाला में स्थित है इसलिए वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :-

- (क) कि चक 6 फ पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 40/20 के मुरब्बा नम्बर 43, 44 53 की कुल 15.055 है। नहरी कृषि भूमि का वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित अनुसार विभाजन किया जाकर उक्त अनुसार अलग अलग लगान कायम किया जावे ।
- (ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।
- (ग) वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
- (घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवानी राजस्व वाद पत्र में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने आपस में राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा एवं बिना किसी जबर दवाब के राजीनामा स्वीकार कर लिया है पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है । पक्षकारान ने चक 6 फ पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2070-2073 के संयुक्त खाता संख्या 40/20 के मुरब्बा नम्बर 43, 44 53 की कुल 15.055 है। नहरी कृषि भूमि का पारस्परिक सहमति से निम्न प्रकार विभाजन किया है :-

धर्मवीर ज्याणी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 6 Q	40/20	43	20 से 24 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25(0.190 है. पश्चिमी हिस्सा)	1.455 है. नहरी
		44	2 से 5 (प्रत्येक में 0.253 है.)	1.012 है. नहरी
कुल योग 2.467 है. नहरी				

श्रीमती अनिता पत्नी श्री धर्मवीर जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 6 Q	40/20	44	1 (0.253 है.), 6 से 10 (प्रत्येक में 0.253 है.), 11(0.127 है. [उत्तरी हिस्सा]), 12(0.126 है. [उत्तरी हिस्सा]),	2.151 है. नहरी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

			13(0.127 है. (उत्तरी हिस्सा)), 14(0.126 है. (उत्तरी हिस्सा)), 15(0.127 है. (उत्तरी हिस्सा))	
--	--	--	---	--

रणवीर सिंह ज्याणी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 6 Q	40/20	43	2 से 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25 (0.063 है. पूर्वी हिस्सा)	4.617 है. नहरी

भागवन्ती पत्नी रामनारायण 2.530 है., जाति जाट निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 6 Q	40/20	53	1, 4, 5, 6, 7, 14 से 17, 24 (प्रत्येक में 0.253 है.)	2.530 है. नहरी

कमला पत्नी दौलतराम 1.897 है., पायल पत्नी रामस्वरूप 1.393 है. जाति जाट निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)


चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 6 Q	40/20	44	11(0.126 है. (दक्षिणी हिस्सा)), 12(0.127 है. (दक्षिणी हिस्सा)), 13(0.126 है. (दक्षिणी हिस्सा)), 14(0.127 है. (दक्षिणी हिस्सा)), 15(0.126 है. (दक्षिणी हिस्सा)), 16 से 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21 से 25 (प्रत्येक में 0.228 है.)	3.037 है. नहरी
		53	25 (0.253 है.)	0.253 है. नहरी
कुल योग				3.290 है. नहरी



अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा बाद तस्दीक गामिल मिसल किया जावे एवं उक्तानुसार बंटवारा घोषित कर डिक्री जारी की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्बन्ध-2070-2073 ग्राम 6 क्यू, पटवार क्षेत्र दौलतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 40/20 की प्रति पेश की गई। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवम्

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

अनवान धर्मवीर ज्याणी वनाम भागवन्ती  
वाद मुकदमा नं.108/2024

जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने  
योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53,  
38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 ;एससीद्ध पेज 807 व 178  
आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 ;एससीद्ध 432  
आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

**—:: आदेश ::—**

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण  
एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :-

धर्मवीर ज्याणी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह0 व जिला  
श्रीगंगानगर (राज0)


चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 6 Q	40/20	43	20 से 24 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25(0.190 है. पश्चिमी हिस्सा)	1.455 है. नहरी
		44	2 से 5 (प्रत्येक में 0.253 है.)	1.012 है. नहरी
				कुल योग 2.467 है. नहरी

श्रीमती अनिता पत्नी श्री धर्मवीर जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह0 व जिला  
श्रीगंगानगर (राज0)

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 6 Q	40/20	44	1 (0.253 है.), 6 से 10 (प्रत्येक में 0.253 है.), 11(0.127 है. [उत्तरी हिस्सा]), 12(0.126 है. [उत्तरी हिस्सा]), 13(0.127 है. [उत्तरी हिस्सा]), 14(0.126 है. [उत्तरी हिस्सा]), 15(0.127 है. [उत्तरी हिस्सा])	2.151 है. नहरी

रणवीर सिंह ज्याणी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह0 व जिला  
श्रीगंगानगर

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 6 Q	40/20	43	2 से 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25 (0.063 है. पूर्वी हिस्सा)	4.617 है. नहरी

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

अनवान धर्मवीर ज्याणी वनाम भागवन्ती  
वाद मुकदमा नं.108/2024

भागवन्ती पत्नी रामनारायण 2.530 है., जाति जाट निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील व  
जिला श्रीगंगानगर (राज0)

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 6 Q	40/20	53	1, 4, 5, 6, 7, 14 से 17, 24 (प्रत्येक में 0.253 है.)	2.530 है. नहरी

कमला पत्नी दौलतराम 1.897 है., पायल पत्नी रामस्वरूप 1.393 है. जाति जाट  
निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)


चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 6 Q	40/20	44	11(0.126 है. [दक्षिणी हिस्सा]), 12(0.127 है. [दक्षिणी हिस्सा]), 13(0.126 है. [दक्षिणी हिस्सा]), 14(0.127 है. [दक्षिणी हिस्सा]), 15(0.126 है. [दक्षिणी हिस्सा]), 16 से 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21 से 25 (प्रत्येक में 0.228 है.)	3.037 है. नहरी
		53	25 (0.253 है.)	0.253 है. नहरी
कुल योग 3.290 है. नहरी				



खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 13.11.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(रणजीत कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
पदेन सहायक कलेक्टर,  
श्रीगंगानगर